FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल

रामगोपाल बनाम बजरंगलाल

मु0नं0 08 / 2012

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना–पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.01.2012	प्रार्थी ने जरिऐ अभिभाषक अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया हैं। विद्वान वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.02.12 तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती हैं कि मौजा ग्राम जायल की विवादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 480 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा जमीन के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति अप्रार्थीगण संख्या 3 से 5 बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि क्यों न इस आदेश को ता फैसला वाद पुख्ता किया जावें अगर इसमें किसी प्रकार की आपति हो तो असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पेश करें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 07.02.12 को पेश हो। सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.), जायल। सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	20-21 6/1/12
7/2/12	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं० 4 व 5 बावजूद तामील नहीं हाजिर हैं। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पूर्व आदेश दिनांक 6/1/12 की अवधि आगामी तारीख पेशी तक बढ़ाई जाती है। अप्रार्थी सं० 1 से 3 की तरफ से रिप्लाई सहित पेश हो। पत्रावली दिनांक 19/3/12 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	

Scanned by CamScanner

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना संक्षिप्त नो
23.5.18	आदेश दिनांक 2.5.18 को पेश हो। पत्रावली न्याय आप के द्वार शिविर में प्रशासन सेवा केन्द्र जायल में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2006 में अप्रार्थी नन्दलाल व बजरंगलाल की बेहसियत डोलीदार खुदकाश्त दर्ज है यह भूमि पुजारी के डोली की भूमियां है जो पुजारियों को सेवा पूजा करने के एवज में काश्त करने के लिये दी जाती थी। जो पुजारियों के डोली की भूमियां होती थी। ग्राम जायल के खेत खसरा नम्बर 420 रकबा 10.16 बीघा की भूमि भी पुजारियों के डोली की भूमि है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति की काश्त नहीं मानी जा सकती है अगर किसी की काश्त दर्ज है तो वो पुजारी की सहमति से काश्त करते थे जो खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है भूमि पुजारी की ही मानी जाती है। यह भूमि मुक्ता शर्मा पत्नि बजरंगलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जायल के नाम से खातेदारी में दर्ज है जो कि एक रिकॉर्डेड खातेदार है। अप्रार्थी क्र. 03 ने यह भूमि खरीद कर प्राप्त की है जो विधि सम्मत है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर	

Scanned by CamScanner